बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

ज्ञापांक 15/पी 5–44/2023 – 11 पटना, दिनांक– 24/04/ 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ के विभिन्न भवनों का निर्माण एवं परिसर के विकास हेतु कुल रू० 40,00,00,000/– (चालीस करोड़ रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

स्वीकृत की जा रही राशि में से रू0 20 करोड़ का व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026–27 में माँग संख्या 54, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा उपमुख्य शीर्ष–03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 102– विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0129 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास विपत्र कोड 54–2202031020129, विषय शीर्ष 0129.31.05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में संगत मद में 182 करोड़ रूपये का उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त है।

स्वीकृत की जा रही राशि में से रू0 20 करोड़ का व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026–27 में माँग संख्या 54, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा उपमुख्य शीर्ष–03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0104 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास विपत्र कोड 54–2202037890104, विषय शीर्ष 0104.31.05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में संगत मद में 90 करोड़ रूपये का उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–448 दिनांक 04.03.2024 पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ के विभिन्न भवनों का निर्माण एवं परिसर के विकास हेतु कुल रू0 2,12,38,00,000/– (दो अरब बारह करोड़ अड़तीस लाख रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 2,00,00,000/–(दो करोड़ रूपये) मात्र विमुक्त किया गया है। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–83 दिनांक 16.08.2024 द्वारा रू० 25,00,00,000/–(पच्चीस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की गई। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–55 दिनांक 28.05.2025 द्वारा रू० 25,00,00,000/–(पच्चीस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की गई।

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–400 दिनांक 25.03.2026 द्वारा इस योजना को पुनरीक्षित करते हुए इसे कुल रू0 2,48,90,34,000/– (दो अरब अड़तालीस करोड़ नब्बे लाख चौंतीस हजार रूपये) मात्र की पुनरीक्षित योजना के रूप में क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की

गई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अब तक कुल रू0 52,00,00,000/– (बावन करोड़ मात्र) विमुक्त किये गये है। इस प्रकार इस योजना अन्तर्गत कुल रू० 1,96,90,34,000/–(एक अरब छियानवें करोड़ नब्बे लाख चौतीस हजार रूपये) मात्र दिया जाना अवशेष है। उक्त अवशेष राशि के विरूद्ध रू0 40,00,00,000/– (चालीस करोड़ रूपये) मात्र इस स्वीकृत्यादेश के माध्यम स्वीकृत एवं विमुक्त किया जा रहा है।

3. राशि की निकासी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए योजना की क्रियान्वयन एजेंसी, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना के पी०एल० खाता– PBBPLA005 Ledger ID-2467 में अंतरित किया जायेगा।

4. इस योजना का क्रियान्वयन एवं गुणवता हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना जिम्मेवार होगा।

5. राशि की निकासी वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 तथा समय–समय पर निर्गत संगत दिशा निर्देश के आलोक में की जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–3 और 5 (ख) (ii) के अनुसार चालू स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त उद्व्यय एवं उपबंध के आलोक में राशि स्वीकृत की जा रही है।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/पी5–44/2023 में दिनांक 13.04.2026 को पृष्ठ संख्या – 38/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

8. व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसे विधिवत् रूप से महालेखाकार कार्यालय को समर्पित किया जायेगा।

9. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

11. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

12. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

13. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राजीव कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–15 / पी 5–44 / 2023.....11 पटना, दिनांक-24 / 04 / 2026

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा) / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / निदेशक, उच्च शिक्षा / कुलसचिव, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ / बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / लेखापाल / रोकड़पाल, उच्च शिक्षा / उपयोगिता कोषांग, उच्च शिक्षा तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.04.26

सरकार के अवर सचिव

Purnea Univesity Purnea 40 crore/P.K